कार्यालय जिला सूचना अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।

फोन/फैक्स न0– 01368–222283 Web site: uttarainformation.gov.in
Email: dio.pauri@yahoo.com, districtinformation.pauri@gmail.com

प्रेस–विज्ञप्ति

सू0वि0/पौड़ी गढ़वाल/दिनांक 9 जुलाई 2013

उत्तराखण्ड शासन आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार ने जनपद गढ़वाल अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के उपरान्त प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री एवं अनुगृह सहायता आदि का वितरण समयबद्व एवं यथाशीघ्र सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समिति में प्रभारी मंत्री श्रीमती अमृता रावत, सांसद गढ़वाल श्री सतपाल महाराज, संसदीय सचिव एवं विधायक श्रीनगर श्री गणेश गोदियाल सहित समिति द्वारा नामित एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी इस समिति में शामिल किया जायेगा। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि समिति द्वारा सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के समन्वय से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री एवं अनुगृह सहायता आदि के वितरण का कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता का चयन/नामांकन समिति द्वारा अलग से किया जायेगा जिसकी सूचना सम्बन्धित सामाजिक कार्यकर्ता को लिखित रूप में दी जायेगी।

लोकपाल मनरेगा प्रकोष्ट पौड़ी द्वारा मानव सिंह बिष्ट निवासी श्रीनगर से प्राप्त शिकायत के क्रम में नगर पालिका परिषद श्रीनगर द्वारा 13वें वित्त योजना अन्तर्गत निर्मित जैविक/अजैविक कूड़ा भण्डारण हेतु टिन सेड निर्माण कार्य में पायी गयी अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए निर्माण कार्य का मूल्यांकन उनके तथा सहायक अभियंता लोनिवि श्रीनगर से करवाया गया। मूल्यांकन पश्चात इस निर्माण की वास्तविक लागत रू0 150625–00 आंकी गयी, जबकि कार्यदायी संस्था ठेकेदार द्वारा इसके निर्माण में रू0 480000–00 की धनराशि व्यय की गई। लोकपाल मनरेगा द्वारा नगर पालिका परिषद श्रीनगर से इस निर्माण में अतिरिक्त व्यय की गई धनराशि रू0 329376–00 को नगर पालिका परिषद श्रीनगर कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही निर्माण कार्य पर विभाग एवं ठेकेदार द्वारा उक्त अनियमित रूप से व्यय की गयी धनराशि एक माह में जमा करने के निर्देशों का अनुपालन न होने पर रू0 1000–00 का जुर्माना किया गया था किन्तु एक माह से अधिक का समय गुजर जाने पर न तो कार्यदायी संस्था (ठेकेदार) द्वारा धनराशि जमा करायी गई और न ही विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्व कार्यवाही की गई। इस क्रम में लोकपाल मनरेगा द्वारा अनियमित रूप से व्यय की गई धनराशि जमा न होने की दशा में उक्त निर्माण में लिप्त अधिकारी/कर्मचारी तथा ठेकेदार के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति की गई है।

जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति पर अहैतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुगृह अनुदान एवं कृषि इनपुट सब्सिडी मदों को एसडीआरएफ के मानकों के पुनरीक्षित दरों के आधार पर वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत क्षति के सम्बन्ध में तृतीय पक्ष से भी क्षति की सूचनायें प्राप्त की जा रही है। यदि किसी कार्मिक द्वारा इन मदों में वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होती है तो दोषी कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने अवगत कराया कि जनपद के विभिन्न विभागों की 1078 क्षतिग्रस्त योजनाओं के लिये 90 करोड़ 33 लाख 37 हजार की क्षति का आंकलन किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए अगवत कराया है कि जनपद में 3 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त, 109 भवन तीक्ष्ण रूप से क्षतिग्रस्त, 154 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के साथ ही 254 छोटे बड़े पशु आपदा की भेंट चढ़ गये। इसके अलावा श्रीनगर में 0.906 हे0 कृषि योग्य भूमि भी आपदा के दौरान तबाह हुयी है।

प्रभारी जिला सूचना अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।